उस क्षेत्र में पड़े जाते हैं, जहां इस तरह की जगहें खाली हैं । यह भी हिदायत है कि नियोजन की सूचनाएं पास के नियोजन कार्यालयों को भी दी जाय । ऐसे विज्ञापनों में पदों की कोटियों और रेलवे के उस मण्डल / जिला क्षेत्र का भी उल्लेख किया जाता है, जहां जगह खाली है । जब उम्मीदवारों की भर्ती खुली प्रतियोगिता के आधार पर की जाती है तो उम्मीदवारों के लिए यह अपेक्षित है कि वे किन्हीं दो मण्डलों / जिलों / क्षेत्रों में नियुक्ति के लिए अपनी तरजीह दें । उम्मीदवारों की तरजीह के अनुसार मण्डलों आदि के आधार पर चुने उम्मीदवारों के पैनल बनाये जाते हैं ।

वाणिज्य विभाग के रेलवे कर्मचारियों को आवास की सुविधा

400. **श्री नाथू राम अहिरवार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजन चालकों तथा गार्डों को, जो रेलवे के चल कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं, रहने के लिये मकान दिया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों को, जिनमें टिकट कलक्टर भी शामिल है यह सुविधा नहीं दी जाती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वाणिज्य विभाग के कर्मचारी होने के कारण उन्हें यह सुविधा नहीं दी जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ) . सभी रेल कर्मचारी, चाहे वे किसी विभाग में काम करते हों, रहने के लिये रेलवे आवास पाने के पात्र हैं । इस तरह के आवास सीमित होने के कारण कर्मचारियों की ड्यूटी को देखते हुए उन्हें "लाजमी" और "गैर लाजमी" कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और लाजमी कर्मचारियों को इस मामले में तरजीह दी जाती है ।

गार्ड और ड्राइवर "लाजमी कर्मचारी" के रूप में वर्गीकृत हैं, जबकि टिकट कलक्टरों सहित वाणिज्यिक विभाग के कर्मचारियों को सामान्यतः "गैर-लाजमी" के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

12. hrs.

PANEL OF CHAIRMEN

MR. SPEAKER : I have to inform the House that under-sub rule (1) of rule 9 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I nominate the following persons on the Panel of Chairmen :

SHRI VASUDEVEN NAIR,
SHRI PRAKASH VIR SHASTRI,
SHRI K. N TIWARY,
SHRIMATI SUSHILA ROHATGI,
SHRIMATI JAYABEN SHAH, AND
SHRI SHRICHAND GOYAL.

SHRI RANGA (Srikakulam) : I would like to point out that you have not been kind enough to include anybody from our party on the Panel of Chairmen.

MR. SPEAKER : I am sorry. I cannot include from all the parties. In the Previous Panel, a Member from his party was there. It is my discretion.

SHRI RANGA : I would like you to reconsider it.

MR. SPEAKER : It is my discretion.

SHRI RANGA : We are the Second largest party here in the Opposition. Evidently, you have forgotton about it.

12.02 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REVISION OF PAY SCALES OF HIMACHAL PRADESH STAFF

SHRI PREM CHAND VERMA (Hamirpur) : Icall theattention of the Minister

of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"The Central Government's decision in the matter of revision of pay-scales of non-gazetted employees of Himachal Pradesh on Punjab Pattern."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): Mr. Speaker, Sir, pay scales of employees of Himachal Pradesh were previously based on the pattern on pay scales in Punjab. Similarly pay scales in Manipur, Tripura and Pondicherry were patterned on the scales in Assam, West Bangal and Tamil Nadu respectively.

It was noticed in 1968 that in some States pay Scales were being revised upward steeply and in some cases these scales exceeded even the Central pay scales for similar posts. In view of the financial implications, the Government of India, after careful consideration, revised the policy of automatic linkage of pay scales in Union Territories with the neighbouring States so as to make it subject to the condition that any revision of pay scales of the employees in the Union Territories inclusive of Dearness pay and/or Dearness Allowance will not raise their emoluments beyond the level obtaining for similar categories of posts under the Central Government. This decision has been made applicable to all Union Territories mentioned above including Himachal Pradesh.

The employees of Himachal Pradesh have been agitating for Punjab scales of pay. The entire question regarding pay-scales of employees of Union Territories is now under active consideration of the Central Government.

श्री प्रेम चंद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो हिमाचल प्रदेश है, उसका 52 प्रतिशत इलाका जो है, वह आबादी 31 अक्तूबर 1966 को पंजाब के साथ थी । जिसमें जिला कांगड़ा, कुल्लू, लाहोल स्पीती, शिमला और तहसील ऊना शामिल थे और सब सरकारी मुलाजिम पंजाब स्केल लेते थे । उन्हें हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर करने पर भी यही कहा गया कि उनको पंजाब स्केल की तनख्वाह दी जाएगी । पंजाब सरकार ने अपने सरकारी मुलाजिमों के ग्रेड 1. 2. 68 से रिवाइज कर दिए हैं । मगर दो साल बीत जाने के बाद भी हिमाचल प्रदेश के इन मुलाजिमों को रिवाइज्ड ग्रेड पंजाब के नहीं दिए गए, जिस की वजह से आज सारे प्रदेश में एक लाख से ज्यादा नान गजटेड एम्पलाइज ने एक आंदोलन चला रखा है । भूख हड़तालें और एजीटेशन जारी हैं और सरकारी काम ठप्प पड़ा है । हिमाचल प्रदेश सरकार यह कहती है कि हम ग्रेड देने को तैयार हैं मगर सेंट्रल गवर्नमेंट उस की मंजूरी नहीं देती । उनके पास केस एक साल से ज़ायद अरसे से पड़ा हुआ है । इस में मसलिहत क्या है यह तो गृह मंत्री महोदय ही बताएंगे ।

सेंट्रल गवर्नमेंट मुलाजिमों की तनख्वाहों और दूसरे हालात की जांच करने के लिए अध्यक्ष महोदय, एक कमीशन आफ एन्क्वायरी 1957-58 में बनाया गया था । उसकी रिपोर्ट के चैप्टर 21 से अंडर हैड यूनियन टेरीटरी, पैरा-8 पेज 368 का हिस्सा में उद्धृत करता हूं, जिसमें यह लिखा हुआ है :

"In Himachal Pradesh, we recommend that the Secretariat staff as well as all other should normally be remunerated by rates fixed by the Punjab Government from time to time for their own employees."

इस के अलावा भी नेवरहुड स्टेट हैं उनमें भी उस के मुताबिक ग्रेड दिए गए हैं । इस के बावजूद भी भारत सरकार ने इस मामले को दो साल से लटकाया हुआ है जबकि होम मिनिस्ट्री से यह नान-गजटेड एम्पलाइज फेडरेशन लगातार इसकी मांग करती चली आ रही है कि हमें पंजाब के ग्रेड दिए जायें ।

हिमाचल प्रदेश चूंकि यूनियन टेरीटरी है इसलिए वास्तव में इस राज्य का सारा शासन

[श्री प्रेमचन्द वर्मा]

दिल्ली से चलता हैं और होम मिनिस्ट्री के यही माननीय मंत्री महोदय इस को चलाते हैं। इस प्रकार की यह जो परेशानियां हमारे राज्य को है, अगर हमें पूरे राज्य का दर्जा दे दिया जाय तो हम इस मामले को खुद ब खुद हल कर सकते हैं और इन सारी परेशानियों से भारत सरकार को भी छुटकारा मिल सकता है।

अब मैं छोटी-छोटी चार बातें इन से पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वह उन को नोट करलें ताकि उत्तर देते समय इनमें से किसी को छोड़ न जाये और मुझे दोबारा कहना पड़े।

मैं जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के नान-गजटेड गवर्नमेंट एम्पलाईज़ की तरफ से पंजाब ग्रेड की तनख्वाहों की मांग सबसे पहले कब की गई और उस रोज़ से लेकर आज तक इतना वक्त क्यों लग गया? इसमें किस वजह से देर हुई? क्या भारत सरकार की तरफ से माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री वी. सी. शुक्ल स्टेट मिनिस्टर फार होम अफेयर्स ने मई और अगस्त माह में और श्री पी. सी. सेठी, स्टेट मिनिस्टर आफ फाइनेंस ने माह अक्तूबर में इन सरकारी कर्मचारियों को यह यकीन दिलाया था कि आप को जल्दी ही पंजाब ग्रेड दिया जायेगा? अगर हां, तो इन आश्वासनों के बावजूद आज तक यह इतना महत्त्वपूर्ण मामला क्यों लटका रखा है जिस की वजह से मुलाज़िमों को यह आन्दोलन करना पड़ा?

दूसरी बात यह है कि क्या होम मिनिस्ट्री आज तक इस उसूल को अपनाती रही है कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी मुलाजिम बेशक वह नान-गजटेड एम्पलाईज़ हो, टीचर हो, प्रोफेसर हों या दूसरी किसी भी श्रेणी के मुलाज़िम ... ों से जो भी ग्रेड कम हों वह दिए जायेंगे? अगर हां, तो इस का मतलब यह समझा जाय कि भारत सरकार हिमाचल के लोगों को सेकन्ड ग्रेड के शहरी समझती है? अगर नहीं तो वह ऐसा बर्ताव क्यों करती है और क्या आइन्दा के लिए भी यही उसूल है या उसे बदल दिया गया है? अगर बदल दिया गया है तो उसकी तफसील क्या है?

तीसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार को मालूम है कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में जिसमें शिमला, धर्मशाला, बुशैर, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, और कुल्लू मनाली शामिल हैं, वहां रहने के लिए मकान भी नहीं मिलते हैं, इस हालत में हिमाचल प्रदेश के सारे सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह भारत सरकार के मुलाजिमों से कम से कम 20 प्रतिशत ज्यादा होनी चाहिये, जब कि उन्हें इसलिए कम दी जाती है कि यह यूनियन टेरीटरी हिमाचल प्रदेश के बाशिन्दे हैं?

चौथी बात आखीरी में कहना चाहता हूं कि होम मिनिस्ट्री से इस बात का आश्वासन दिया जाय कि हिमाचल प्रदेश के नान-गजटेड एम्पलाईज़ की तनख्वाह रिवाइज्ड 1-2-68 से दी जायगी और इस बात का एलान कौन सी आखीरी तारीख तक कर दिया जायगा, यह बताया जाय।

आखीरी चीज एक और मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह भी ठीक है कि हिमाचल प्रदेश के टीचर दिल्ली ग्रेड से सन्तुष्ट नहीं है और उन्होंने सरकार को रिप्रेजेन्टेशन दिया है कि उन्हें कोठारी कमीशन ग्रेड दिया जाय? अगर हां, तो इसका फैसला किस वजह से रुका हुआ है? कब फाइनल फैसला किया जायगा और क्या सरकार इनको कोठारी कमीशन ग्रेड देने पर सहमत है, या नहीं?

श्री विद्याचरण शुक्ल: अध्यक्ष महोदय, यह जैसा कि माननीय सदस्य के सवालों से आपको मालूम होगा यह बहुत जटिल मामला है और इतने जटिल मामले का निर्णय होने में कुछ समय अवश्य लगता है। हमें इस बात का दुःख है कि कुछ समय अवश्य लगा। पर मैं

इतनी बात कह सकता हूँ कि अब इसके बारे में हम शीघ्र ही निर्णय ले लेंगे और इस निर्णय की घोषणा भी कर दी जायेगी ।

यह बात कहना गलत है कि किसी तरह का कोई आश्वासन प्रधान मंत्री या किसी दूसरे मंत्री के द्वारा इस संबंध में दिया गया है. क्योंकि डेपुटेशन जो हम लोगों से मिलने आया था उनसे हमने बातचीत की, उनके दृष्टिकोण को समझने का हमने प्रयत्न किया और उसको समझ बूझ कर अब हम इसके बारे में एक निर्णय लेने जा रहे हैं ।

यह सवाल केवल हिमाचल प्रदेश का नहीं बल्कि जितनी केन्द्र शासित टेरिट्रिज़ हैं उन सभी का इससे सम्बन्ध है । यदि केवल हिमाचल प्रदेश को ही लेकर किसी मामले में चला जाये क्योंकि उसके पास पंजाब का कुछ भाग आता है और दूसरी यूनियन टेरिट्रीज़ पर उसको लागू न किया जाये तो उसका गलत असर पड़ सकता है । इसलिए इस सम्बन्ध में हम जो निर्णय करेंगे वह सभी यूनियन टेरिट्रिज़ पर लागू होगा । इस कारण इसको व्यापक रूप से देखना पड़ेगा और इसीलिए इसमें कुछ समय लगा । बात ठीक है कि जो निर्णय पिछले दो साल पहले हुआ उसमें कहा गया था कि जो सिद्धान्त हम अभी तक मानते आये हैं उसमें यह प्रयत्न करना पड़ेगा कि जिस राज्य के पास यूनियन टेरिट्रीज़ हैं वहां के पे स्केल्स और सेंटर के पे स्केल, इन दोनों में जो कम हो वह दिया जाये । यह तय किया गया था । लेकिन कई राज्यों, जैसे पंजाब है वहां पर कई ऐसे पदों की तनख्वाह बढ़ा दी गई जो कि सेंटर के पे स्केल से भी ज्यादा थी । उसको मंजूर करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दूसरी यूनियन टेरिट्रीज़ और हमारे यहां के कर्मचारियों के मन में असन्तोष हो रहा था । इसलिए इसके बारे में जो निर्णय किया जाएगा उसमें यह भी तय किया जायेगा कि कब से इसका प्रभाव पड़ना चाहिये, रेट्रास्पेक्टिव इफेक्ट होना चाहिए या नहीं । मैंने आपके चार प्रश्नों का जवाब दे दिया ।.....(**व्यवधान**).....टीचर्स के बारे में जो आपने कहा, उसके बारे में हमको निर्णय नहीं लेना है । मुख्य रूप से शिक्षा मन्त्रालय निर्णय करेगा कि कोठारी आयोग के अनुसार पे दी जाये या न दी जाये । इसके बारे में मैं यहां पर तो कुछ नहीं कह सकता ।...(**व्यवधान**)...आपने यह कहा कि देर क्यों हुई वह बतला दिया । आश्वासन दिया गया, वह भी बतला दिया । ग्रेड का होना चाहिए. वह भी बतला दिया । तनख्वाह ज्यादा होनी चाहिए, उसके बारे में हम सोच रहे हैं । रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट होगा या नहीं यह भी तय किया जायेगा जब हम निर्णय लेंगे ।

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE (Ratnagiri) : On a point of order.

श्री प्रेम चन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने पूरा जवाब नहीं दिया है । अगर प्रश्न का पूरा जवाब नहीं मिलेगा तो फिर सवाल करने से फायदा ही क्या होगा ।

MR. SPEAKER : There is a point of order raised. He will please sit down.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbur) . I also rise to a point of order.

MR. SPEAKER : The lady will have First preference.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE : First, I would like to point out that the hon. member has taken 10 minutes to formulate his first question. You have laid down certain rules of procedure in this House on this mater. But it seems to me that those rules do not apply.

The second point I want to submit for your consideration is that we from this side have given notice of important call attention motions and we have had no reply from your office. What is more, we find that those matters which can be referred to the Minister by private correspondence are being brought before the House.

I had given notice of call attention on two matters. One was seeking a clarifica-

[Shrimati Sharda Mukerjee]

tion as to why Shri S. N. Mishra's comments on the Supreme Court's judgment on the Bank Nationalisation Act were not accepted by AIR for bradcast. The second was in regard to the situation in Laos. No reply has come on these.

MR. SPEAKER : I do not know what has gone wrong, either with me on with members.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE : This is gross discrimination.

MR. SPEAKER : If any member wants to discuss any matter about a motion or Discusssion, he could see me in my chamber. If th: lady member had seen me in my chamber, I would have told her that it is coming up tomorrow. I have already taken a decision. There was no use raising this point here····

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE : Bacause no reply had come.

MR. SPEAKER : ····and that too on a point of order.

Is Shri Basu's point of order also on the same lines ?

SHRI JYOTIRMOY BASU : Previously, whenever we Tabled a call attention notice, we used to be intimated as to whether it had been admitted or rejected by the Speaker. This was under your instructions. That is not being done now. May we request you to revive that practice.

We had given a notice on the Shive Sena's activities in Bombay which is posing a serious problem to the whole country. I do not know whether you have accepted or rejected it We must know what is happening to it.

MR. SPEAKER : I will look into it.

श्री प्रेम चन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि क्या 1.2-68 से रिवाइज्ड ग्रेड लागू करेंगे और वह पंजाब के होंगे या नहीं।

MR. SPEAKER : No please. You have alreadg taken enough time, and you are exploiting your privilege. Please do not do it.

12.16 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Economic Survey 1969-70

THE MINISTER OF SUPPLY AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. K. KHANDILKAR) : On behalf of the Prime Minister, I beg to lay on the Table a copy of the 'Economic Survey, 1969-70.' [*Placed in Library, See No.* LT.–2551/70]

Papers under Companies Act, 1956, etc.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI BHANU PRAKASH SINGH) : On behalf of Shri Fakhruddin Ali Ahmed, I beg to lay on the Table :

(1) A copy of the Compay Law Board (Procedure)Amendment Rules, 1970 (Hindi and English versions) pubished in Notification No. G. S. R. 23 in Gazette of India dated the 3rd January, 1970, under sub-section (3) of section 642 of the Companies Act, 1956. [*Placed in Library. See* No LT-2555/70].

(2) A copy of Notification No. G S. R. 2763 (Hindi and English version) published in Gazette of India dated the 20th December, 1969, under sub-section (3) of section 637 of the Companies Act, 1954. [*Placed in Library. See* No. LT.-2556/70].

(3) A copy of Government Resolution No. 16 (23)-63-Salt (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 10th January, 1970, clarifying certain decisions on Salt Committee's recommendations notified in Government Resolution No. 18(4)/59-Salt dated the 3rd May, 1961. [*Placed in Library.* See No. LT.-2557/70].

(4) A statement showing reasons for delay in laying on the Table the Annual Report of the National